भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3038

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

3038. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

डॉ. भोला सिंह:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और किन प्रमुख चुनौतियों, यदि कोई हों, का सामना किया गया है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने और महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन-कौन सी नई पहलें/नीतियां शुरू की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की निरंतर सफलता और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या इस योजना से देश में बालिका अनुपात में सुधार लाने में सहायता मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार जिला स्कोर कार्ड, वार्षिक निष्पादन रैंकिंग आदि के माध्यम से योजना के निष्पादन पर नजर रखने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कौन से संकेतक हैं जिनके आधार पर कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.): बीबीबीपी योजना 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के त्रि-मंत्रालयी प्रयास के रूप में शुरू की गई थी। जिसका उद्देश्य लिंग आधारित लिंग चयन को रोकना, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्यों में चलाई जा रही है और इस योजना का 100% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

इस योजना के प्रमुख संकेतकों में से एक जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) की निगरानी करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि एसआरबी में सुधार के रुझान दिख रहे हैं और यह राष्ट्रीय स्तर पर 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 (अनंतिम) में 930 हो गया है।

इसके अतिरिक्त, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन (2014-15) में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर (2021-22) में 79.4 प्रतिशत हो गया है [यूडीआईएसई-आंकड़ा, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार]।

योजना के तहत निधि जिला स्तर पर बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के लिए राज्यों के माध्यम से भेजी जाती है। वर्ष 2020-21 तक जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) की अलग-अलग स्थिति को ध्यान में रखते हुए {(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) आंकड़ा के अनुसार)}, बीबीबीपी घटक के तहत निधि जारी करने के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। 918 से कम या उसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को प्रति वर्ष 40 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है, 919 से 952 तक एसआरबी वाले जिलों को प्रति वर्ष 30 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है और 952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों को प्रति वर्ष 20 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।

साथ ही, इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति मानसिकता में सकारात्मक व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाना है। इस संबंध में जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए एक परिचालन मैनुअल तैयार किया गया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

सरकार ने लैंगिक असमानताओं को दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई -एनआरएलएम) एक केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूह जिनके लगभग 10 करोड़ सदस्य हैं जो रोजगार/स्वरोजगार के लिए ग्रामीण परिदृश्य को बदल रहे हैं। इसी तरह, राष्ट्री य शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसके अलावा, रोजगार/स्वरोजगार औ र ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-

अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम एसवीएनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रा मीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा) जैसी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के लाभार्थियों में बड़ी संख्या म हिलाएं हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिलाओं को कौश ल और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इसी तरह, सरकार ग्रामीण आबादी को डिजिटल सा क्षरता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमदिशा) का कार्यान्वय न करती है। इन दोनों योजनाओं ने महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार और उद्यमशीलता के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में भी मदद की है। बजट 2024-25 में, महिला उन्मुखी विकास को ब ढ़ावा देने के लिए सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया है।

इसके अलावा, मंत्रालय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लं घन करने वाले बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 'मिशन वा त्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसमें संस्थागत देखरेख और गै र-संस्थागत देखरेख शामिल है। पुनर्वास उपाय के रूप में, बाल देखरेख संस्थानों के माध्यम से संस्था गत देखरेख की जाती है। घरों में किए जाने वाले कार्यक्रमों और कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ आयु-अनुकूल उचित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, पराम र्श इत्यादि शामिल हैं। गैर-संस्थागत देखरेख घटक के तहत दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण, पश्चात देख रेख और प्रायोजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अनुलग्नक

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में दिनांक 09.08.2024 को श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी एवं डॉ. भोला सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3038 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधि

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	66.92	520.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	119.58	580.00	0.00	0.00
3	असम	47.16	890.00	0.00	485
4	बिहार	37.99	660.00	0.00	322.5
5	छत्तीसगढ़	50.66	760.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	326.73	340.00	551.10	0.00
8	हरियाणा	162.80	0.00	493.50	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	142.77	119.00	280.30	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	104.05	0.00	543.20	0.00
11	झारखंड	0.00	290.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	107.67	750.00	0.00	0.00
13	केरल	11.08	310.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	839.19	570.00	1368.60	0.00
15	महाराष्ट्र	122.68	0.00	0.00	265
16	मणिपुर	90.00	0.00	0.00	215
17	मेघालय	24.89	0.00	0.00	87.5
18	मिजोरम	60.00	0.00	280.00	140
19	नागालैंड	192.62	499.00	185.70	132.5
20	ओडिशा	115.61	410.00	0.00	0.00
21	पंजाब	356.20	0.00	667.30	0.00
22	राजस्थान	566.02	414.00	675.00	0.00
23	सिक्किम	22.20	0.00	90.00	0.00
24	तमिलनाडु	239.84	760.00	802.50	0.00
25	तेलंगाना	81.81	820.00	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	0.00	180.00	200.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	1499.00	0.00	2093.20	0.00

28	उत्तराखंड	290.50	63.00	395.70	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19.47	0.00	52.50	0.00
30	चंडीगढ़	9.63	0.00	15.00	0.00
31	दादरा, नगर हवेली और दमन एवं दीव	3.18	0.00	0.00	0.00
32	एनसीटी दिल्ली	0.00	80.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	54.99	0.00
35	लद्दाख		0.00	0.00	0.00
	कुल	5713.7	9015	8748.6	1647.5

#08.08.2024 तक

*पश्चिम बंगाल बीबीबीपी योजना को लागू नहीं कर रहा है।
